राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– फेफाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 14 सन 2018

अनवान :–

1. अभिषेक 2 नवीन नाबालिग नरेश कुमार जरिये संरक्षिका माता तारावती पत्नी नरेश पत्नी नरेश कुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. समादेवी पत्नि धर्मपत्नि बलवन्तसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. विधोदवी उर्फ बादोदेवी पुत्री बलवन्तसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. प्रन्बधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा फेफाना
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 07.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 74/68 के कुल खसरा न0 14 कुल 3.0360हैक्‍ मुश्तरका खाता मं 1/8 हिस्सा व रोही मौजा चक 5 जेएसएन के खाता संख्या 69/65 कुल किता 28 की कुल 6.8310हैक्‍ मुश्तरका खाते में से 1/8 हिस्सा , एवं चक रोही मौजा 6 केएनएन के खाता संख्या 26/19 में से 1/4 हिस्सा सहखातेदारी भूमि वादीगण के दादा बलवन्तसिह पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीगण के दादा बलवन्तसिह पुत्र चुनीराम का देहान्त हो गया है एवं वादीगण के पिता नरेन्द्र कुमार का भी देहान्त हो चुका है इसलिये वाद भूमि के हकदार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण लोक अदालत में उपस्थित आकर लोक भावना से प्रेरित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होने अपने हकों का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

Zaidi

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादीगण के दादा बलवन्तसिह पुत्र चुनीराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो गया है जिसके दो वारिस बिधादेवी एवं नरेशकुमार हुऐ जिनमें से नरेशकुमार का देहान्त हो गया है नरेश कुमार के वारिस अभिषेक व नवीन वादीगण है अर्थात बलवन्तसिह के जीवित वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो मृत्यूप्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र से साबित है।

वाद भूमि में वादीगण के दादा बलवन्तसिह के दोहन्त होने पर उसके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो वाद भूमि के हकदार है तथा वादीगण का कथन

है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हकों का त्याग कर दिया है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपना हक त्याग किया गया है राज्य हकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 74/68 की कुल 3.0360हैक्‍ मुश्तरका खाता में से 1/8 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 69/65 की कल 6.8310हैक्‍ मुश्तरका खाता में से 1/8 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 26/19 में सहखातेदारी में दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि जो बलवन्तसिह पुत्र चुनीराम के नाम से दर्ज है के वादीगण संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है बलवन्तसिह पुत्र चुनीराम को नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

SZaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–फेफाना

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–फेफाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. अभिषेक 2 नवीन नाबालिग नरेश कुमार जरिये संरक्षिका माता तारावती पत्नी नरेश पत्नी नरेश कुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 समादेवी पत्नि धर्मपत्नि बलवन्तसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. विधोदवी उर्फ बादोदेवी पुत्री बलवन्तसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. प्रन्बधक भारतीय स्टेट बैक शाखा फेफाना
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 139 सन 2018 निर्णय दिनांक–07.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत '' न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 74/68 की कुल 3.0360हैक मुश्तरका खाता में से 1/8 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 69/65 की कल 6.8310हैक मुश्तरका खाता में से 1/8 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 26/19 में सहखातेदारी में दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि जो बलवन्तसिह पुत्र चुनीराम के नाम से दर्ज है के वादीगण संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है बलवन्तसिह पुत्र चुनीराम को नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत '' न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

SZaidi
शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–फेफाना